

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 246/2020

1. सतपाल पुत्र महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।

:- वादी

ब न अ म

1. महावीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
2. प्रमिला पुत्री महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
3. पुष्पा पुत्री महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. बैंक आफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत विजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 73/68 के मु० न० 59 के किला न० 8 ता 13, 18, ता 20, 21/1, 22/1, 23/1 कुल 2.769 है० बारांनी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 महावीरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं० 1 महावीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सतपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) सत्यनारायण

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 246/2020

1. सतपाल पुत्र महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।

:- वादी

ब न अ म

1. महावीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
2. प्रमिला पुत्री महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
3. पुष्पा पुत्री महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. बैंक आफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०का०अ० 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरजीत विजारणिया : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 10.02.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 73/68 के मु० न० 59 के किला न० 8 ता 13, 18 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1 कुल 2.769 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 महावीरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं० 1 के पिता अमरसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। अमरसिंह से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 महावीरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती हैं इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। तथा पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र पेश किये। व प्रतिवादी सं० 4 व 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू सतपाल पुत्र महावीरसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2071-74 प्रदर्श 1, नामान्तरण प्रदर्श 2 व 3, दादालाई जमाबंदी प्रदर्श

4. जमाबंदी 12 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रामगढ़िया 6 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने 10 जेजीडब्ल्यू के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में महावीरसिंह के एक पुत्र सतपाल व दो पुत्री प्रमिला व पुष्पा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि के अलावा रोही मौजा 12 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 0 5/5 में वर्णित कुल 18.417 है 0 में प्रतिवादी सं 0 1 महावीर के नाम 200 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को प्रतिवादी सं 0 1 महावीरसिंह के नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 0 73/68 के मु 0 न 0 59 के किला न 0 8 ता 13, 18 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1 कुल 2.769 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 महावीरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं 0 1 महावीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 0 73/68 के मु 0 न 0 59 के किला न 0 8 ता 13, 18 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1 कुल 2.769 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 महावीरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं 0 1 महावीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं 0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सतपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़